क्रम संख्या–35 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 29 अप्रैल, 2020 ई0

बैशाख 09, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 142/XXXVI (3)/2020/07(1)/2020

देहरादून, 29 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 13 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13, सन् 2020)

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (सं०प्रा० अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम 2020 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 37–'क' का संशोधन

2. संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (सं०प्रा० अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 37–क की उपधारा (3) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात

"(3) राज्य सरकार, राज्य में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष में मद्यनिषेध लागू कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

कारण और उद्देश्य

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में मद्यनिषेध के सम्बन्ध में विशेष उपबंध की धारा 37–क की उपधारा (3) को राज्य की आवश्यकता के दृष्टिगत संशोधित किया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक और अपरिहार्य है।

2. प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी / 125–2020–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।